फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

<table>
<tr><th>आदेश की तारिख</th><th>कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

फौ. मूल. प्र. सं. /2022 राज. राज्य बनाम सुरेश</th><th>न. व ता. जो इस आदेश की तामील में जारी</th></tr>
<tr><td>10.11.
2022</td><td>विद्वान अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन अधिकारी ने यह आरोप पत्र पुलिस थाना वल्लभनगर का खिलाफ अभियुक्त सुरेश अन्तर्गत धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 2000 के पेश किया। बाद जॉच पेश हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त अभियुक्त के विरूध धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 2000 में प्रसंज्ञान लिया जाता है। नियमानुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नकल चालान पेश अधिवक्ता अभियुक्त श्री .... को निःशुल्क दी गयी। प्रस्तुत आरोप पत्र की विशिष्टियों के आधार पर अभियुक्त को धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 2000 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवम् समझाया गया कि तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझ कर आरोप स्वीकार किया। अभियुक्त की ओर से पृथक से जुर्म स्वीकारोक्ति का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त सुरेश पुत्र श्री दौलतराम जी प्रजापत, उम्र 40 वर्ष, निवासी उदाखेड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत अपराध अन्तर्गत धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 2000 में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा बीड़ियां बाद गुजरने म्याद अपील तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार नियमानुसार नष्ट किया जावें।
अभियुक्त को सुधरने का एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होने से अभियुक्त को तुरंत कारावास से दंडित करके परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया। परिणामतः अभियुक्त सुरेश पुत्र श्री दौलतराम जी प्रजापत, उम्र 40 वर्ष, निवासी उदाखेड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर(राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 9/11 राजस्थान धुम्रपान प्रतिषेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम, 2000 में दोषसिद्धि पर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस शर्त पर कि इस आशय का शपथ पत्र पेश करें, पूर्व में दोषसिद्ध नहीं किया गया हैं तथा न ही परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त किया गया हैं, तो परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देते हुए सम्यक प्रताड़ना देकर रिहा किया जाता है तथा साथ ही धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अधीन अभियुक्त पर 200/– रूपए अक्षरे दो सौ रूपए अभियोजन व्यय के रूप में न्यायालय में जमा करावें तो अभियुक्त को फिलहाल परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावें। उक्त शर्त की पूर्ति पर अभियुक्त धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाता हैं। अभियुक्त को हिदायत दी जाती है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रुपये का निजी मुचलका एवं इतनी ही राशि</td><td>सुरेश

59/88606
Rs 200/-</td></tr>
</table>

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

की एक जमानत पेश कर तस्दीक करावें। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं। अतः प्रकरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती हैं।

आदेशानुसार बंधपत्र व प्रतिभूति पेश किये गये जो बाद जांच तस्दीक किये गये। अभियोजन व्यय की राशि जरिए रसीद न्यायालय में जमा करवाई गई। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वल्लभनगर, उदयपुर।

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

श्रीमान सिविल न्या...
...पुर (राज.)
...म. 117/2022
...प्रार्थी/प्रार्थीया